हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/6/2018 पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट हुरडा पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित है । वकील प्रतिवादी सं0-5 के द्वारा कथन किया गया कि वादी रामदेव फौत हुये काफी समय हो गया है उनके एल. आर. प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नही किये जाने से दावा अबेट हो जाने से दावा खारिज फरमाया जावें । तथा वकील वादी के द्वारा प्रतिवादी सं0-2 की जानबूझ कर तामील नही करवाई जा रही है जबकि वकील वादी ने कथन किया कि वादी फौत हो गया है तो इसकी जानकारी कर वारिस कायमी हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर देंगे तथा प्रतिवादी सं0-2 की तामील हेतु सम्मन प्रस्तुत कर देंगे । अन्त में कथन किया कि एक अवसर और दिलाया जावें । मने वकील उभयपक्ष को सुना । बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है :- प्रकरण की आदेशिका के अनुसार न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं0-2 की तामील कराने हेतु सम्मन तलवाना पेश करने के लिए वकील वादी को दिनांक 11/4/16 9/8/2016, 19/9/2016, 23/1/2017, 7/3/2017, 19/4/2017, 20/2/2018 तथा दिनांक 20/3/2018 को अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वकील वादी के द्वारा प्रतिवादी सं0-2 के सम्मन तलवाना फीस पेश नही की गई । आज भी ववकील वादी के द्वारा सम्मन तलवाना पेश नही किये जाने से न्यायालय आदेश-9 नियम- 2 व 5 जाप्ता दिवानी के तहत यह वाद खारिज किया जाना उचित समझता है । लिहाजा दावा वादी अदम तकमील में खारिज किया जाता है । पत्रावली शुमार फैशल होकर	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

जिस आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है ।

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दफत्तर करे । आदेश आज दिनांक 18/6/2018 को खुली लोक अदालत कैम्प कोर्ट हुरडा पर सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner